प्रेस नोट ***20/12/2024***

ओएलएक्स पर मोबाइल बेचने को लेकर फ्रॉडर द्वारा VYOM एपलिकेशन डाउनलोड कराकर किये गये फ्रॉड का 104899 रुपये वादी के खाते में वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद में पंजीकृत अभियोग 150/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा ओएलएक्स पर मोबाइल बेचने को लेकर फ्रॉडर द्वारा VYOM एपलिकेशन डाउनलोड कराकर किये गये फ्रॉड 174600 रुपये मे से 104899 रुपये को वादी के खाते मे वापस कराया गया।

किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करें, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद श्री रविन्द्रनाथ राय, श्री ओमप्रकाश यादव नि0 अपराध, श्री हरेन्द्र यादव प्रभारी नि0 साइबर क्राइम थाना, उ0नि0 श्री अविनाश यादव, उ0नि0 श्री देवेश मिश्र, हे0आ0 संजय गुप्ता, आ0 दयानाथ मौर्य, म0आ0 प्रियंका मिश्रा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.12.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रामकेवल रा पुत्र मधुबन राय निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ तथा कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त एकलाख पुत्र अंसार निवासी इब्राहिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मिशन शक्ति अभियान के क्रम में थाना कोपागंज एंटी रोमियो टीम द्वारा आपत्तिजनक/अश्लील गाना गा रहे युवक को गिरफ्तार किया गया–

मिशन शक्ति फेज–5 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे जागरुकता/चेकिंग के दौरान आज दिनांक 20.12.2024 थाना कोपागंज एंटी रोमियो टीम द्वारा गंगदास इण्टर कॉलेज धवरियासाथ के पास आवागमन मार्ग पर खड़े होकर महिलाओं को देखकर आपत्तिजनक गाना गा रहे एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उक्त द्वारा अपना नाम अतुल प्रजापति पुत्र पारस प्रजापति निवासी पारा कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज मऊ बताया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 353/24 धारा 296 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।